न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 31/2014

अपीलांट

मनीष पुत्र मोहनलाल उम्र 24 वर्ष जाति नंदवाना ब्राहम्ण निवासी देसूरी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. भगवती पत्नी अशोक जाति माहेश्वरी निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली।
2. अशोक कुमार पुत्र मूलचंद जाति माहेश्वरी निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली।
3. दिलीप पुत्र रूपचंद जाति सोनी निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली।
4. संजू पत्नी दिलीप कुमार जाति सोनी निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री खूमाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बउनवान मनीष कुमार बनाम शिवशंकर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी देसूरी पटवार सर्कल में एक बेरा "डूंगरावा" के पुराने खसरा नंबर 281/1 से लगाय 287/9 व 287 कुल रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 2821 से 2823 व 2842, 2843 कुल रकबा 8.46 के संबध खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को नोटिस जारी किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गये। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 05 से 08 ने प्रार्थना धारा 11 सी.पी.सी एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सठित धारा 151, 141 सि.प्र.सं के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अपीलांट उक्त आराजी के संबध में पूर्व में विभिन्न न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय में पक्षकार नहीं था। जबकि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में जन्मसिद्ध अधिकार होने से वाद व्यक्तिगत हैसियत के रूप में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के बिन्दुओ का ध्यान मे न रखते हुए केवल मात्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व धारा 11 सी.पी.सी के तहत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित मानते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी देसूरी पटवार सर्कल में एक बेरा "डूंगरावा" क़े पुराने खसरा नंबर 281/1 से लगाय 287/9 व 287 कुल रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 2821 से 2823 व 2842, 2843 कुल रकबा 8.46 के संबध खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को नोटिस जारी किये गये। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 05 से 08 ने प्रार्थना धारा 11 सी.पी.सी एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सठित धारा 151, 141 सि.प्र.सं के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 शिवशंकर वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, किन्तु हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा केवल 04 प्रतिवादी भगवती, अशोककुमार, दिलीप और संजू को पक्षकार बनाया हैं एवं शेष प्रतिवादीगण का पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 20 सी.पी.सी एवं आदेश 01 नियम 9 सी.पी. सी अनुसार अपील विधिक रूप से आवश्यक पक्षकार के अभाव मे पोषणीय नही होने से अपास्त योग्य है। हाजा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश द्वारा अपील के मूल निर्णय के समय तय किये जाने बाबत आदेश प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त अपीलांट के दादा स्वर्गीय छोगालाल ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय बंशीलाल के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 124/87 8/88 सहायक कलक्टर देसूरी में पेश किये थे, जिसके निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी बंशीलाल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे दिनांक 07.06.94 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट बंशीलाल के नाम संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नंबर 287, 287/1 से 287/9 कुल रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2821 से 2823, 2842, 2843 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट के पिता द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे दिनांक 01.11.2011 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के पिता की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपरोक्त कार्यवाही में अपीलांट के पिता मोहनलाल व उसके भाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्षकार है। इसी प्रकार पूर्व से ही अपीलांट के पिता, दादा की ओर से उपरोक्त अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबध में निर्णय पारित हो चुके है। जिसकी रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के संबध में अपीलांट मनीष कुमार, शोभादेवी व सीता की ओर से एक वाद उपरोक्त निर्णय को निरस्त किये जाने बाबत सिविल जज (व.ख.) बाली में प्रस्तुत किया है, उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन संख्या 15/12 भी प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 17.12.2012 को निर्णीत करते हुए अपीलांट मनीष वगैरह के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को मैरिट पर खारिज किया गया। अपीलांट संख्या 01 से 04 ने उक्त आराजी बंशीलाल के वारिसान से पंजीकृत विक्रय–विलेख से खरीद की है। विक्रय–पत्र पंजीयन के समय वादग्रस्त भूमि की मौका फर्द बनाई गई थी, जिसमें आधिपत्य रेस्पोडेन्टगण का ही मौके पर पाया गया था। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण की खरीदशुदा आराजी है। एवं विधिक रूप से जब पक्षकारो के बीच में पूर्व में ही सक्षम न्यायालय द्वारा समान विषय–वस्तु के संबंध में वाद निर्णीत हो चुका है उस अनुसार रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः उन्ही तथ्यो पर पूर्व वाद के वादी के पुत्र अथवा पौत्र को पुनः उसी बिन्दु पर वाद लाने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो का ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्ययालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी देसूरी पटवार सर्कल में एक बेरा "डूंगरावा" के पुराने खसरा नंबर 281/1 से लगाय 287/9 व 287 कुल रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 2821 से 2823 व 2842, 2843 कुल रकबा 8.46 के संबध खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को नोटिस जारी किये गये। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 05 से 08 ने प्रार्थना धारा 11 सी.पी.सी एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सठित धारा 151, 141 सि.प्र.सं के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने का हवाला देते हुए खारिज किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट के दादा स्वर्गीय छोगालाल ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय बंशीलाल के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 124/87 8/88 सहायक कलक्टर देसूरी में पेश किये थे, जिसके निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी बंशीलाल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे दिनांक 07.06.94 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट बंशीलाल के नाम संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नंबर 287, 287/1 से 287/9 कुल रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नबर 2821 से 2823, 2842, 2843 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर की खातेदारी घो ित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट के पिता द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे दिनांक 01.11.2011 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के पिता की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपरोक्त कार्यवाही में अपीलांट के पिता मोहनलाल व उसके भाई पक्षकार है। इसी प्रकार पूर्व से ही अपीलांट के पिता, दादा की ओर से उपरोक्त अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबध में निर्णय पारित हो चुके है। जिसकी रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के संबध में अपीलांट मनीष कुमार, शोभादेवी व सीता की ओर से एक वाद उपरोक्त निर्णय को निरस्त किये जाने बाबत सिविल जज (व.ख.) बाली में प्रस्तुत किया है, उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन संख्या 15/12 भी प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 17.12.2012 को निर्णीत करते हुए अपीलांट मनीष वगैरह के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को मैरिट पर खारिज किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। विधिक रूप से जब पक्षकारो के बीच में पूर्व में ही सक्षम न्यायालय द्वारा समान विषय–वस्तु के संबंध में वाद निर्णीत हो चुका है उस अनुसार रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः उन्ही तथ्यो पर पूर्व वाद के वादी के पुत्र अथवा पौत्र को पुनः उसी बिन्दु पर वाद लाने का अधिकार नही है। उक्त प्रावधान के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो द्वारा उक्त बिन्दु को पुष्टि की है। जिससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण रेसज्यूडिकेटा से पूर्णतया बाधित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 शिवशंकर वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, किन्तु हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा केवल 04 प्रतिवादी भगवती, अशोककुमार, दिलीप और संजू को पक्षकार बनाया हैं एवं शेष प्रतिवादीगण का पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 20 सी. पी.सी एवं आदेश 01 नियम 9 सी.पी.सी अनुसार अपील विधिक रूप से आवश्यक पक्षकार के अभाव मे पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत पारित किया गया हैं। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बउनवान मनीष कुमार बनाम शिवशंकर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2014 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली